नशेबाजी में की गालीगलौज तो कर दी हत्या

-पनकी थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को हुई थी हत्या

-अगल-बगल की फैक्ट्री में काम करते थे दोनों

-हत्या में प्रयुक्त तमंचा व मृतक का मोबाइल फोन किया बरामद

कानपुर: 20 सितंबर को यूरिया फटिलाइजर फैक्ट्री के पास हुई युवक की हत्या का थाना पनकी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया तमंचा भी बरामद किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि आजम नशेबाजी करने के दौरान गाली गलौज करता था, उसे कई बार मना किया लेकिन वह नहीं माना तो इससे गुस्साकर उसकी हत्या कर दी।

घटना के संबध में मु0अ0सं0 416/22 धारा 302 IPC पंजीकृत किया गया था। सविलांस टीम की मदद से अभियुक्त को भौती ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पहचान सुधीर शर्मा पुत्र श्री राम दुलारे शर्मा निवासी वार्ड न0 5 सुभाष नगर कस्वा व थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर आउटर उम्र करीव 33 वर्ष हाल पता वरासिरोही सब्जी मण्डी थाना कल्यानपुर कानपुर नगर के रूप में हुई। अभियुक्त के कव्जे से आला कत्ल तमच्चा देशी 315 वोर मय 01 जिन्दा कारतूस वरामद हुआ ।

अभियुक्त मृतक मो.आजम की फैक्ट्री के वगल की फैक्ट्री मे काम करता था तथा शराव पीने के दौरान जान-पहचान व दोस्ती हो गयी थी शराब पीने के दौरान मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गाली गलौज एंव मारपीट किये जाने से छुब्द होकर अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या किया गया है । अज्ञात हत्या का खुलासा स्थानीय पुलिस व सर्विलांस टीम के द्वारा किया गया । जिसके सम्बन्ध मे उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0स0 429/22 धारा 3/25 ए act अलग से पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.सुधीर शर्मा पुत्र श्री राम दुलारे शर्मा निवासी वार्ड न0 5 शुभाष नगर कस्वा व थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर आउटर हाल पता वरासिरोही सब्जी मण्डी थाना कल्यानपुर कानपुर नगर उम्र करीव 33 वर्ष

बरामदगी की विवरण-

1.आला कत्ल एक तमंच्चा 315 बोर, 01 कारतूस 315 बोर, मृतक मो0 आजम का एक लावा कंपनी का मोबाइल फोन, एक वैग

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0 416/22 धारा 302 भादवि थाना पनकी कानपुर नगर

2-मु0अ0स0 429/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना पनकी कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अंजन कुमार सिंह, उ0नि0 सतीश चन्द्र, उ0नि0 शिवप्रताप सिह, हे0का0 विष्णुपाल सिंह, का0 परशुराम, का0 संजय, का0 अनार सिंह शामिल रहे।